



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 785 / अका./ वि.प.स्थायी समिति / 2014

रायपुर, दिनांक: 17/07/2014

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक शुक्रवार, दिनांक 11.07.2014 अपराह्न 04.30 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	—	अध्यक्ष
2.	प्रो. रोहिणी प्रसाद	—	सदस्य
3.	प्रो. स्वर्णलता सराफ़	—	सदस्य
4.	प्रो. एम.डब्ल्यू. गाय. खान	—	सदस्य
5.	प्रो. ए.के. श्रीवास्तव	—	सदस्य
6.	प्रो. ओ.पी. चन्द्राकर	—	सदस्य
7.	प्रो. एस.सी. नैथानी	—	सदस्य
8.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	—	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 03.06.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : सम्पुष्टि की गई।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार स्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	विवेकानन्द महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर	बी.बी.ए.	2014–15	<p>निरीक्षण तिथि :- 19.05.2014 BBA पाठ्यक्रम की स्थायी सम्बद्धता हेतु निरीक्षण किया :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. महाविद्यालय में अधोसंरचना पर्याप्त है। 2. महाविद्यालय में परिनियम 28 के तहत कुल 03 शिक्षक प्रबंधन विषय के लिये नियुक्त किये गये हैं। जिसमें वर्तमान में दो शिक्षक कार्य कर रहे हैं। जिनका वेतन बैंक के माध्यम से किया जाता है। 3. महाविद्यालय में गैर-शैक्षणिक स्टाफ परिनियम 28 के तहत नियुक्त है। 4. महाविद्यालय में बी.बी.ए. पाठ्यक्रम में छात्र संख्या एवं Six सेमेस्टरों की विषयवार पुस्तकों की कुल संख्या 540 है जो अपर्याप्त है। प्राचार्य ने बताया कि और पुस्तकें क्रय कर ली जायेगी। 	विनियम 129 में उल्लेखित बिंदुओं के तहत पुनः निरीक्षण किया जावे।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
				<p>बी.बी.ए. Ist year की स्थायी सम्बद्धता सत्र 2010-11 में दी गई थी। अतः विनियम 129 के तहत कम से कम 5 वर्ष पूर्ण होने चाहिये जो वर्तमान सत्र 2014-15 में पूर्ण होंगे तदोपरान्त विचार किया जा सकता है।</p>	
		बी.सी.ए. एवं पी.जी.डी.सी. ए.	2014-15	<p>Inspection Date : 04-06-2014 Inspection of the college was done on 04-06-2014, and noted the observations as under.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastructure is adequate for both PGDCA and BCA course. 2. 53 Computers are available alongwith Campus license of Microsoft. 3. Ist batch of BCA Started in 2011-12 session, however PGDCA started in 1994-95 session. 4. Library facilities are adequate. 5. Only 2 Faculty Members of computer science are appointed under section 28, which is adequate for PGDCA course, however additional regular faculty is required for BCA. 6. College is having only 20290 Sq. ft area. 	
		बी. कॉम. एवं एम. कॉम. (All Compulsory Subject)	2014-15	<p>निरीक्षण तिथि :- 09.05.2014 विश्वविद्यालय के पत्र क्र. 317 / अका./ 2014 दिनांक 09.05.2014 के परिपालन में आज दिनांक 06 जून, 2014 को निरीक्षण समिति ने महाविद्यालय की स्थायी सम्बद्धता हेतु निरीक्षण किया और पाया कि—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महाविद्यालय की अधोसंरचना पर्याप्त है। 2. महाविद्यालय में प्रवेशित छात्र-छात्राओं की तुलना में स्थायी सहायक प्राध्यापकों की संख्या कम है। प्रवेशित छात्र-छात्राओं की संख्या के आधार पर कम से कम 05 (पांच) और सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति परिनियम 28 के अधीन किये जाने की अनुशंसा की जाती है। 3. वाणिज्य विषय की लगभग एक लाख की पाठ्यपुस्तकों / संदर्भित ग्रंथ और क्रय किये जाने की अनुशंसा की जाती है। 4. वाणिज्य विषय से संबंधित कम से कम 05 जर्नल एवं शोधपत्रिकाएं नियमित रूप से मंगाए जाने की अनुशंसा की जाती है। 	

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
2.	स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महावि. आमदी नगर, हुडको भिलाई, जिला—दुर्ग	बी.बी.ए.	2014–15	<p>बी.बी.ए. की स्थायी सम्बद्धता हेतु निरीक्षण किया</p> <p>1. महाविद्यालय में अधोसंरचना पर्याप्त है। विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत गैर-शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की गई है, भुगतान बैंक के माध्यम से होता है।</p> <p>2. महाविद्यालय में बी.बी.ए. भाग—1 की अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2005–06 में 30 सीट से दी गई थी, सत्र 2007–08 में सीट संख्या 30 से 70 कर दी गई। सत्र 2012–13 में सीट संख्या 100 दी गई। अतः स्थायी सम्बद्धता पाठ्यक्रम को पांच वर्ष पूर्ण हो गये हैं। लेकिन कितनी सीटों को मान्य किया जाने स्पष्ट नहीं है।</p> <p>3. विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत केवल 02 शिक्षकों की नियुक्ति प्रबंध पाठ्यक्रम हेतु की गई है जो अपर्याप्त है।</p> <p>4. 100 सीटों के लिये पुस्तकें कम हैं।</p>	विनियम 129 में उल्लेखित बिंदुओं के तहत पुनः परीक्षण की जाए।

03. विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.03.2014 के निर्णय एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 25.03.2014 में किये गये अनुमोदन के अनुसार रावतपुरा सरकार संस्थान द्वारा बी.एड. पाठ्यक्रमों के लिए संचालित 04 महाविद्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदन का परीक्षण कर कार्यालयीन टीप संलग्न है।

निर्णय : रावतपुरा संस्थान द्वारा संचालित महाविद्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं टीप के अनुसार मात्र 1 महाविद्यालय में 04 शिक्षक परिनियम 28 के अंतर्गत हैं जो अपर्याप्त है। शेष 3 महाविद्यालय में परिनियम 28 के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति नहीं है। महाविद्यालय से परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्ति नहीं करने का कारण एवं औचित्य प्राप्त कर पुनः प्रस्तुत किया जाए तथा सभी महाविद्यालयों का निरीक्षण कराया जाए।

04. सत्र 2014–15 के लिये एन.सी.टी.ई. द्वारा निम्नलिखित 3 नये महाविद्यालय जिसमें दो बी.एड.एवं 1 बी.पी.एड. की स्वीकृति निम्नानुसार दी गई है।

- 4.1. श्री रावतपुरा सरकार इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, प्लाट नं.-629, 1156, 1667, 1562, 1561, 1668, ग्राम/पोस्ट-पचेड़ा, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर को सत्र 2014–15 से बी.पी.एड.—100 सीट के लिए अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।
- 4.2. रवि शंकर ग्लोबल एजुकेशन कालेज, प्लाट नं.-131/9-10-1, ग्राम-धनेली, पोस्ट-माना कैम्प, तह.-धरसीवां, जिला-रायपुर 492015 को सत्र 2014–15 से बी.एड.—100 सीट के लिए अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।

4.3. श्री रावतपुरा सरकार कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लाट नं.-581/2, ग्राम—पचेड़ा, पोस्ट—कुर्ल, तहसील—अभनपुर, जिला—रायपुर— 493661 छत्तीसगढ़ को सत्र 2014–15 से बी.एड—100 सीट के लिए अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है बशर्ते सम्बद्धता आदेश जारी करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के अन्तर्गत प्रत्येक बिंदुओं की पूर्ति के संबंध में एक बार पुनः निरीक्षण कराली जावे।

05. दिशा कालेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर में संचालित बी.एस—सी. प्रथम वर्ष (आई.टी.), डी.सी. एच., पी.जी.डिप्लोमा इन आई.टी., बी.एस.सी. (इलेक्ट्रानिक्स), एम.एस.सी. (इलेक्ट्रानिक्स), सर्टिफिकेट एवं पी.जी. डिप्लोमा इन योगा पाठ्यक्रम की कक्षाओं को सत्र 2013–14 से बंद किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त अनुमति के अनुक्रम में दिशा कालेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर में संचालित बी.एस—सी. प्रथम वर्ष (आई.टी.), डी.सी.एच., पी.जी.डिप्लोमा इन आई.टी., बी.एस.सी. (इलेक्ट्रानिक्स), एम.एस.सी. (इलेक्ट्रानिक्स), सर्टिफिकेट एवं पी.जी. डिप्लोमा इन योगा पाठ्यक्रम की कक्षाओं को सत्र 2013–14 से बंद किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

06. शासकीय महाविद्यालय, पंडरिया की सम्बद्धता पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय सम्बद्धता दिये जाने पर विचार करना।

निर्णय : शासकीय महाविद्यालय, पंडरिया, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर से सम्बद्ध था। राज्य शासन द्वारा जिला पुनर्गठन करने के कारण अब पंडरिया को कबीरधाम जिला में सम्मिलित किया गया है, जिसके कारण, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्र. 5391/2942/2013/38-2 दिनांक 03.10.2013 एवं बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर का पत्र क्र. 615/अका./2014 दिनांक 02.06.2014 के द्वारा शासकीय महाविद्यालय, पंडरिया को बिलासपुर विश्वविद्यालय से स्थानांतरित कर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

07. पूर्व संचालित निम्नलिखित महाविद्यालयों में सत्र 2014–15 के लिये नये विषय एवं सीट वृद्धि प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना :—

- (1) विप्र कला, वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर
- (2) दिशा कालेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर
- (3) विवेकानन्द महाविद्यालय, के.के. रोड, मौदहापारा, रायपुर
- (4) देव संस्कृति महाविद्यालय, जेवरा ग्राम खपरी, जिला—दुर्ग
- (5) अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर

निर्णय : (1) विप्र कला, वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर को शासन के पत्र क्र. 1990/1385/ 2012/38-2 दि. 02.06.2012 के द्वारा नवीन विषय – D.C.A. 30 सीट की अनुमति दी गई थी।

सत्र 2014–15 से D.C.A. (30 सीट) प्रारंभ करने की अनुशंसा की जाती है। शासन से दिनांक 02.06.2012 को जारी किये गए अनुमति Continue करने के संबंध में परीक्षण कर कार्यवाही की जावे।

- (2) दिशा कालेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर को शासन के पत्र क्र. 1029 / 1391 / M / 2012 / 38-2 दिनांक 10.05.2012 के द्वारा सीट वृद्धि— बी.कॉम.-60 सीट (120+60), बी.कॉम (कम्प्यूटर) -60 सीट (100+60), बी.बी.ए.— 60 सीट (80+60), बी.सी.ए.-30 सीट (60+30) की अनुमति दी गई थी।

सत्र 2014-15 से सीट वृद्धि— बी.कॉम.-60 सीट (120+60), बी.कॉम (कम्प्यूटर) -60 सीट (100+60), बी.बी.ए.— 60 सीट (80+60), बी.सी.ए.-30 सीट (60+30) प्रारंभ करने की अनुशंसा की जाती है। शासन से दिनांक 10.05.2012 को जारी किये गए अनुमति Continue करने के संबंध में परीक्षण कर कार्यवाही की जावे।

- (3) विवेकानन्द महाविद्यालय, के.के. रोड, मौदहापारा, रायपुर का नवीन विषय/सीट वृद्धि संबंधी प्रस्ताव के संबंध में पुनः निरीक्षण किया जाए।
- (4) देव संस्कृति महाविद्यालय, जेवरा ग्राम खपरी, जिला—दुर्ग को शासन के पत्र क्र. 1801/ 1380/2021 दिनांक 16.05.2012 के द्वारा नवीन पाठ्यक्रम – (1) पी.जी.डी.सी.ए-30, (2) बी.ए.—60 हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, राजनीति शास्त्र की अनुमति दी गई थी।

सत्र 2014-15 से (1) पी.जी.डी.सी.ए-30, (2) बी.ए.—60 हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, राजनीति शास्त्र प्रारंभ करने की अनुशंसा की जाती है। शासन से दिनांक 16.05.2012 को जारी किये गए अनुमति Continue करने के संबंध में परीक्षण कर कार्यवाही की जावे।

- (5) अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती रायपुर को शासन के पत्र क्र. 187 दिनांक 21.06.2011 एवं पत्र क्र. 2065 दिनांक 07.06.2012 के द्वारा नवीन पाठ्यक्रम – MSW- 20 Seat (2013), BBA-30 Seat (2011-12), DCA-30, सीट वृद्धि— B.Com.-30 seat (64+30) की अनुमति दी गई थी।

सत्र 2014-15 से नवीन पाठ्यक्रम – MSW- 20 Seat (2013), BBA-30 Seat (2011-12), DCA-30, सीट वृद्धि— B.Com.-30 seat (64+30) प्रारंभ करने की अनुशंसा की जाती है। शासन से दिनांक 21.06.2011 एवं 07.06.2012 को जारी किये गए अनुमति Continue करने के संबंध में परीक्षण कर कार्यवाही की जावे।

08. सत्र 2014-15 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :-

क्र.	महाविद्यालय का नाम
1	सेठ सुगनचंद सुराना महाविद्यालय, दुर्ग
2	कालिन्दी महाविद्यालय स्वाती एजुकेशन सोसायटी लालपुर रायपुर
3	सांत्वना मनोपचार एवं अनुसंधान संस्थान पीजी इंस्टीट्यूट आफ बिहेवियरल एण्ड मॉडिकल साइंसेस, रायपुर
4	महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज , समता कॉलेजी , रायपुर
5	राम कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, 94 सुंदर नगर, रायपुर
6	प्रिज्म रक्कूल ऑफ एजुकेशन, प्लाट नं.-207, 2011, स्ट्रीट मेन रोड, पो.—उतरई, जिला—दुर्ग (छ.ग.)
7	प्रतिभा कालेज आफ एजुकेशन, ग्राम—बालसी, सराईपाली, जिला—महासमुंद (छ.ग.)
8	सेंचुरी सीमेंट महाविद्यालय, बैकुण्ठ (तिल्डा), जिला—रायपुर (छ.ग.)
9	शास. पं. ज.ला.ने. कला एवं वाणिज्य महा. बैमेतरा, जिला—बैमेतरा (छ.ग.)
10	भिलाई मैत्री महाविद्यालय, रिसाली, भिलाई जिला—दुर्ग (छ.ग.)
11	मां बहादुर कलारिन कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, गुरुर (बालोद) जिला--बालोद (छ.ग.)
12	सेठ आर.सी.एस. विधि महा. दुर्ग (छ.ग.)
13	सेठ बद्रीलाल खण्डेलवाल शिक्षा महाविद्यालय, गौरवपथ, उतरई रोड, दुर्ग जिला—दुर्ग (छ.ग.)
14	चंद्रपाल डडसेना शास. महा. पिथौरा, जिला—महासमुंद
15	साई महाविद्यालय, स्ट्रीट-69, सेक्टर-6, भिलाई जिला—दुर्ग
16	कचना धुरवा, महाविद्यालय, छुरा (राजिम) जिला—रायपुर (छ.ग.)
17	आर.के.एस. महाविद्यालय, तिल्डा—नेवरा, जिला—रायपुर (छ.ग.)

- 18 सप्राट अशोका कॉलेज आफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, कवर्धा, जिला—कबीरधाम
- 19 महात्मा गांधी महाविद्यालय स्टेशन रोड, रायपुर (छ.ग.)
- 20 आई.बी.टी. कालेज ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बेरला रोड, गिरहोला, अहिवारा, नंदिनी नगर, दुर्ग
- 21 स्व. जयदेव सतपथी शास. महाविद्यालय, बसना, जिला—महासमुद्र
- 22 पं. के.ए.एस. विधि महाविद्यालय राजनांदगांव (छ.ग.)
- 23 विंयवसिनि महाविद्यालय सनौद—बोहारा, जिला—बालोद (छ.ग.)
- 24 सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट कोपेडीह रोड, देवोदा, राजनांदगांव
- 25 शिक्षा स्नातक महाविद्यालय मांढर, रायपुर जिला—रायपुर (छ.ग.)
- 26 दिशा कालेज आफ साइंस एंड कार्मस, प्लाट नं.—788/1/2, 792/3, दिशा पार्क रामनगर, कोटा रोड, रायपुर (छ.ग.)
- 27 विवेकानन्द शिक्षा संस्थान, रामकृष्ण परमहंस नगर, कोटा, रायपुर (छ.ग.)
- 28 शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, महासमुद्र
- 29 गुरुकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी, रायपुर
- 30 कल्याण विधि महाविद्यालय, भिलाई नगर
- 31 रायल कालेज, लालबाग, राजनांदगांव
- 32 शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग
- 33 डी.ए.वी. मॉडल कॉलेज, आर्य नगर, दुर्ग

निर्णय : उपरोक्त महाविद्यालयों को सत्र 2014–15 के लिये वार्षिक अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

01. पी—एच.डी. में प्रवेश हेतु समस्त शोध निर्देशकों एवं विभागीय शोध समिति द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण नीति का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित किया जाए।
02. एम.फिल. प्रवेश परीक्षा, 2014 माह अगस्त के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाए।
03. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित वार्षिक परीक्षा पद्धति के स्नातकोत्तर परीक्षाओं में श्रेणी सुधार के प्रावधान को छात्र के परीक्षा उत्तीर्ण, अकादमी वर्ष से आगामी पाँच वर्ष के लिए सीमित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. ७४६ / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2014

रायपुर, दिनांक: १७/०७/२०१४

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. सहायक कुलसचिव, परीक्षा / उ.कु.स. गोपनीय,
3. वित्त नियंत्रक / अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)